

प्रेषक

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवामें

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगरविकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक : 08 फरवरी, 2018

विषय : प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1485/नौ-9-2012-161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर 2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-286/नौ-9-2014-161 ज/12 दिनांक 11 मार्च 2014 तथा भारतीय तार अधिनियम-1885 को विनियमित करने हेतु संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 4जी ब्राण्ड बैंड वायरलाइन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगरीय निकायों की भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर/डक्ट डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबलिंग के लिए स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128/129 एवं उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 124 में सम्पत्ति अंतरण विषयक प्राविधान एवं इन्फोटेक ब्राण्डबैंड सर्विसेज लि० द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के दृष्टिगत एच०डी०डी० विधि से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, ग्राउण्डबेस्ड मास्ट स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिये पोल लगाने के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.10.2012 एवं 11.03.2014 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी निजी संस्थाओं को जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाना चाहती हैं अधिकतम सुविधायें प्रदान किये जाने तथा ऐसी निजी संस्थाओं को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने व उनका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने एवं उसका अनुरक्षण करने की अनुमति) अधिनियम- 2001 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेन्स धारी को किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर

1.7
Upload m(u)

218

19.2.18

(देवेन्द्र शाह)

अधिशायी अभियन्ता

